संख्या-21/2020/249/छप्पन-2020-42/2008A(1)

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च, 2020

विषय: कुशीनगर हवाई अड्डे के परिसर में स्थित अवरोधों को हटाए जाने तथा बल्क पॉवर सप्लाई स्टेशन की स्थापना के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-729/ना0उ0नि0/2020 दिनांक 07 फरवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे के विकास एवं संचालन हेतु राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य दिनांक 05 मार्च, 2019 को निष्पादित एम0ओ0यू0 में विहित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों हेतु रू0 4,45,74,711/- (रूपया चार करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ ग्यारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही उक्त धनराशि को जिलाधिकारी, कुशीनगर के निवर्तन पर उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उपर्युक्तानुसार नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों एवं उनमें निहित व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य कराने वाले विभाग का नाम	आगणन की धनराशि
1.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित विद्यालयों का ध्वस्तीकरण एवं अन्यत्र स्थापित किया जाना।	बेसिक शिक्षा विभाग	32.64 लाख + 51.62 लाख
2.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित पम्प हाउस का ध्वस्तीकरण।	नलकूप विभाग	1,40,640 /-
3.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित अनुसूचित प्रा0पा0 नरायनपुर का ध्वस्तीकरण।	समाज कल्याण विभाग	1.92 लाख
4.	हवाई अड्डा परिसर में स्थित मन्दिर का ध्वस्तीकरण।	लोक निर्माण विभाग	2.29 लाख
5.	कुशीनगर एयरपोर्ट पर 11 के0वी0ए0 बल्क पॉवर सप्लाई स्टेशन की स्थापना।	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कसया	3,55,87,071/-
	योग		**4,45,74,711/-**
कुल योग शब्दों में- रूपया चार करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ ग्यारह मात्र			

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित समस्त कार्यों को कराए जाने हेतु कुल धनराशि रू0 4,45,74,711/- (रूपया चार करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ ग्यारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

(2) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा जारी दिश-निर्देशों एवं पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाए।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जाए, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे प्रस्तर-1 में अंकित कार्यों को कराए जाने के निमित्त व्यय हेतु प्रस्तुत की गई धनराशि के आगणन का मूल्यांकन एवं उनके औचित्य का परीक्षण नियमानुसार कराने के पश्चात् ही सम्बन्धित कार्य कराए जाएं। साथ ही साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।

(8) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाएं।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जाएगी।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन/ जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन/ जिलाधिकारी, कुशीनगर का होगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 4,45,74,711/- (रूपया चार करोड़ पैंतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ ग्यारह मात्र) आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, कुशीनगर के निर्वतन पर रखी जाएगी।

4- जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहद् निर्माण कार्य'' से वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 290/दस-2020, दिनांक 06 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

पृ0सं0-21/2020/249(1)/छप्पन-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, कुशीनगर।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4.
7- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in